न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.53 / अपील / 2023 (GCMS No. 2021 / 201)	26.09.2023	27.05.2024

श्हाबुद्दीन आ. रोशन अली, जाति मुसलमान
निवासी ग्राम खटकड़, तहसील रायथल, जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, रायथल

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री राकेश ठाकौर, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने नायब तहसीलदार रायथल द्वारा मिसल संख्या 2354 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 53 / 2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2023 / 201 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम खटकड़ में विस्थित भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 0.4451 हैक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय में से 0.2023 हैक्टेयर भूमि में से भवन निर्माण हेतु दिनांक 10.08.2022 को जिला कलक्टर महोदय, बून्दी के आदेश से उक्त भूमि का राजस्व विभाग (तहसीलदार बून्दी) को आवंटन किया गया था। इस आवंटन के विरूद्ध अपीलांट ने संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा के यहां प्रथम अपील पेश कर रखी है, जो विचाराधीन है। नायब तहसीलदार रायथल द्वारा दिनांक 11.10.2022 को निर्णय देते हुये अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने तथा लगान का 50 गुणा जुर्माने से दण्डित किया गया है। उक्त निर्णय कानून एवं वस्तुस्थिति के विपरीत है क्योंकि उक्त भूमि पर अपीलांट का वर्षो पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा ग्राम पंचायत की बैठक में भी प्रस्ताव पास कर उक्त भूमि का आबादी विस्तार हेतु चयनित किया हुआ है। अपीलांट उक्त भूमि को अपने पक्ष में नियमन कराने की योग्यता रखता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शास्ति एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी भूमि है तथा पटवार भवन एवं गिरदावर भवन के लिए आवंटनशुदा है। अपीलांट को सरकारी कार्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष में मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांट ने भूमि खसरा संख्या 274 रकबा 0–08 बीघा एवं 2.07 बीघा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम खटकड़ पर संवत् 2079 मौसम खरीफ में पक्की बावड़ी कुर्सी लेवल कर एवं उड़द की फसल कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, फसल नीलामी, 344/–रू. शास्ति से दण्डित किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अपीलांट का उक्त वादग्रस्त आराजी पर वर्षो पुराना कब्जा है जिससे वह नियमन करवाने की योग्यता रखता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेखदली का आदेश पारित कर दिया गया, जो निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार का तर्क है कि उक्त भूमि पटवार भवन एवं गिरदावर भवन के आवंटनशुदा है जिस पर अपीलांट को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह भूमि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 562–63 दिनांक 10.08.2022 से पटवार घर एवं गिरदावर घर के लिए आवंटित भूमि है, उक्त भूमि पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप में उचित नहीं माना गया है। पत्रावली पर उक्त आराजी पर अपीलांट का वर्षो पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही नियमन संबंधी कार्यवाही के दस्तावेज संलग्न है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का खटकड़, आईएलआर खटकड, नायब तहसीलदार रायथल एवं मौतबिरान के मौका पर्चा अनुसार उक्त अतिक्रमण हटाया जाकर भूमि कब्जे राज ली जा चुकी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर समस्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेशआज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी